संख्या- 94/2024/1539/छप्पन-2024-04/2005

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 23 अक्टूबर, 2024

विषयः अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती एवं चित्रकूट हवाई अड्डों की इमारतों और सम्बन्धित बुनियादी ढाँचे की संरचनात्मक स्थिरता का तृतीय पक्ष ऑडिट हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या AV24032/84/2021-AD दिनांक 05.07.2024, मुख्य अभियन्ता(भवन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 302 कैम्प/मु0अ0(भवन)/24 दिनांक 09.08.2024, प्रोफेसर, आई0आई0टी0 सिविल अभियांत्रिकी विभाग, रूड़की के पत्र दिनांक 06.08.2024 के साथ अपने पत्रांक 175/आर0सी0एस0-2024-ए-01/2020 दिनांक 23 सितम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नागरिक उड्डयन निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2024 के माध्यम से शासन के पत्र संख्या भा0स0: 205/छप्पन-2024-04/2005 दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के क्रम में जनपद अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती एवं चित्रकूट हवाई अड्डों की इमारतों और बुनियादी ढाँचे की संरचनात्मक स्थिरता का तृतीय पक्ष के आडिट के लिए धनराशि रू0 20.00 लाख+जी0एस0टी0 @18% प्रति हवाई अड्डा की दर से कुल रू0 80.00 लाख + जी0एस0टी0 18% की धनराशि का भुगतान विभागाध्यक्ष, आई0आई0टी0 रुड़की, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व लेखा लेखा शीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के मद में प्राविधानित धनराशि 6000.00 लाख से वहन किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती एवं चित्रकूट हवाई अड्डों की इमारतों और सम्बन्धित बुनियादी ढाँचे की संरचनात्मक स्थिरता के सम्बन्ध में तृतीय पक्ष ऑडिट हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख+जी0एस0टी0@18% प्रति हवाई अड्डा की दर से धनराशि रू0 80.00 लाख+जी0एस0टी0 18% कुल धनराशि रू0 94,40,000/- (रूपए चौरानबे लाख चालीस हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ सम्पूर्ण धनराशि रू0 94,40,000/- (रूपए चौरानबे लाख चालीस हज़ार मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी0 की दर के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
10. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।
12. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय किये जाने से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए ।।T रूड़की के चयन में राज्य सरकार के नियमों के अनुपालन की स्थिति से स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व लेखा लेखा शीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" से वहन की जाएगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-127/दस-2024-2025, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 94/2024/1539(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
4. अवर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार B-ब्लॉक, राजीव गाँधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003 ।
5. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
6. जिलाधिकारी, आजमगढ़/अलीगढ़/श्रावस्ती एवं चित्रकूट।
7. निदेशक विमानपत्तन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आजमगढ़ हवाईअड्डा, आजमगढ़-276141 ।
8. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अलीगढ़ एयरपोर्ट, अलीगढ़।
9. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चित्रकूट एयरपोर्ट, चित्रकूट।
10. निदेशक विमानपत्तन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्रावस्ती हवाईअड्डा, श्रावस्ती।
11. विभागाध्यक्ष, आई0आई0टी0 रूड़की, उत्तराखण्ड/ प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, सिविल अभियांत्रिकी विभाग, रूड़की- 247667, उत्तराखण्ड।
12. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13 ।
15. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in